न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –101/2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
भंवरसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी हमीराणा तहसील खींवसर जिला नागौर		1. तहसीलदार, खींवसर 2. हल्का पटवारी, आंकला तहसील खींवसर

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री श्याम कुमार व्यास।
2. रेस्पोडेण्ट्स की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणां।

निर्णय दिनांक 07-12-17

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार खींवसर द्वारा मुकदमा नम्बर 08/2017 सरकार बनाम भंवरसिंह अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 12.04.2017 से असंतुष्ट होकर दिनांक 04.09.2017 को प्रस्तुत की गई। अपील ताबेउज्र मयाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही के दौरान अपीलांट ने स्वंय उपस्थित होकर दिनांक 12.04.2017 को जवाब पेश किया, उस समय रीडर ने अपीलांट को बताया की आगामी तारीख पेशी की सूचना दे दी जायेगी। अपीलांट इसी विश्वास में रहा कि प्रकरण अभी विचाराधीन है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के नागौर आने के पश्चात् उसी दिन आदेश जैर अपील पारित कर दिया जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं हो सकी। अभी हाल ही में अपीलांट अपील खातेदारी के खेतों की नकलें प्राप्त करने हेतु तहसील गया, तब हल्का पटवारी ने आदेश जैर अपील की जानकारी दी, तब अपीलांट ने उसी दिन दिनांक 21.07.2017 को नकलें हेतु आवेदन कर नकलें प्राप्त की। तब प्रथम बार आदेश जैर अपील की सम्पूर्ण जानकारी हुई। प्रथम जानकारी से अपील अन्दर मयाद पेश करने एंव न्यायहित में अपील अंदर मयाद शुमार की जाना उचित व न्याय संगत होने का कथन करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मयाद शुमार करने का निवेदन किया। राजपैराकार ने प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथनों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए न्यायहित में अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

कलक्टर, नागौर

वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में दिये गये तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का आंकला ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक टी.पी. रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा संवत् 2073 में सरहद हमीराणा के खसरा नम्बर 927 रकबा 0.15 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाडी पर काश्त कर अतिक्रमण किया है।

जिस पर धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत् प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस दिया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर दिनांक 12.04.2017 को जवाब पेश किया तत्पश्चात् उसी दिन अधिनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी के विरूद्ध बेदखली व जुर्माने का आदेश पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील पूर्णतया अवैध एंव विधि विरूद्ध ढंग से पारित किया गया होने से काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य सबूतों पर गौर किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया है। वादग्रस्त खेत खसरा नम्बर 927 ग्राम हमीराणा मौके पर कभी भी नाडी के रूप में काम में नहीं लिया गया क्योंकि इस खेत के चारों ओर अपीलांट की खातेदारी का खेत आया हुआ है। इस कारण पीढियों से ही उक्त खसरा नम्बर की भूमि कभी भी नाडी के रूप में प्रयोग में नहीं ली गई फिर भी अपीलांट उक्त भूमि पर किसी प्रकार अतिक्रमण करने की इच्छा नहीं रखता है, किन्तु मौके पर पीढियों से ही नाडी स्थित नहीं रहने से अपीलांट को उक्त नाडी की जमीन की सीमा बाबत कोई जानकारी नहीं रही है। यदि हल्का पटवारी मौके पर उक्त नाडी के रकबे को नापकर अलग कर देते है तो अपीलांट उक्त नाडी की भूमि पर कभी भी काश्त नहीं करेगा। इस बाबत अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब भी पेश किया किन्तु उस जवाब के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्रकार की जांच किए आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा जब जवाब पेश किया गया तो उसके आधार पर पुनः मौके की जांच करते हुए वहीं नाडी की जमीन का सीमांकन कर उक्त भूमि की सीमा बाबत अवगत करवा देना चाहिए था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने ऐसी किसी प्रकार की विधिक प्रक्रिया किये बगैर सीधे ही अपीलांट को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने का जो आदेश जैर अपील पारित किये जाने का कथन करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.04.2017 निरस्त फरमाने साथ ही पत्रावली पुनः खसरा नम्बर 927 का पूर्ण सीमांकन कर मौके पर अपीलांट को अवगत कराते हुए निर्णित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने अपनी बहस में वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया की अपीलांट ने ग्राम हमीराणा के खसरा नम्बर 927 रकबा 0.15 बिस्वा गै.मु. नाडी की भूमि को समतल कर कब्जा किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने 91 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलांट ने स्वंय तारीख पेशी दिनांक 12.04.2017 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं किये जाने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य अथवा दस्तावेज भी अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील उचित होने का कथन करते हुए अपीलांट की अपील खारिज करने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। पटवारी हल्का आंकला ने ग्राम हमीराणा के खसरा नम्बर 927 रकबा 0.15 बिस्वा गै.मु. नाडी की भूमि को समतल कर कब्जा करने के संबंध में भू–अभिलेख निरीक्षक खींवसर द्वारा सत्यापित रिपोर्ट दिनांक 27.03.2017 अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलांट ने स्वंय तारीख पेशी दिनांक 12.04.2017 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं किये जाने के

संबंध में कोई ठोस साक्ष्य अथवा दस्तावेज अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये है, जबकि पटवारी हल्का आंकला व भू–अभिलेख निरीक्षक खींवसर की रिपोर्ट दिनांक 27.03.2017 से अपीलांट द्वारा हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण किया जाना स्पष्टतया साबित है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना विधि सम्मत नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका रेकर्ड लौटाते हुवे निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर